पत्र संख्या –26 / विविध–06–22 / 2026 ..... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल अंतर्गत बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य एकरारनामा सं0–325F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/02/2026), एकरारनामा सं0–324F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/04/2026) दिनांक–05.02.2026 एवं एकरारनामा सं0–348F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/05/2026) दिनांक–23.02.2026 के तहत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार उक्त तीनों कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

2. स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं पाये जाने पर कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से तीनों योजनाओं में स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल में आवश्यक बढ़ोतरी कर कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। इसके बावजूद दिनांक–17.04.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र क्रमशः 36 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत ही है। संवेदक द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के पत्रांक–765 दिनांक–18.04.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2243 दिनांक–29.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 86 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, पो0–भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 (निबंधन सं0–WRD160321C2IN40202, श्रेणी–द्वितीय) को वर्णित तीनों कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26 / विविध–06–22 / 2026 पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, पो0–भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–22 / 2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–22 / 2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना / अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना / निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–22 / 2026 पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर / कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल को उनके पत्रांक–765 दिनांक–18.04.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–22 / 2026 2696 पटना, दिनांक : 20/5/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/5/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।